IA
Pl. upload on
Deptt website & Email
18/2/20

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

कमांकः प.8(ड)(   )स.ग./डीएलबी/20/ 57   जयपुर, दिनांकः 18/2/20

आयुक्त,
नगर निगम,
जयपुर।

विषयः–नियमित जन सुनवाई करने बाबत।

उपरोक्त विषय में निर्देशानुसार लेख हैं कि वर्तमान में नगर निगम जयपुर का बोर्ड भंग होने के कारण आम जनता से जुडे हुए नगर निगम से संबंधित कार्य सीवर, सफाई, रोशनी आदि के प्रकरणो के निस्तारण के लिए आप नियमित रूप से जन सुनवाई करने की व्यवस्था नगर निगम स्तर पर आरम्भ करें तथा प्राप्त प्रकरणो का नियमानुसार निस्तारण किया जावे। जन सुनवाई कार्यक्रम के स्थान एवं समय की जानकारी समाचार पत्र के माध्यम से आम जनता को उपलब्ध करावें। नगर निगम के सभी जोन में भी जोन उपायुक्त के स्तर पर ऐसी जन सुनवाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। जन सुनवाई कार्यक्रम जारी किया जाकर प्रतिलिपि विभाग को भेजी जावे।

18/2/20
(उज्जवल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

कमांकः प.8(ड)(   )स.ग./डीएलबी/20/ 58–59   दिनांकः 18/2/20

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. विशिष्ट सचिव (ए.डी.एच.) मुख्य मंत्री कार्यालय को उनके अ0 शा0 पत्रांक एलएसजी/जय./19/104642 दिनांक 22.01.2020 की अनुपालन में प्रेषित है।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
03. अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम जयपुर।
04. जोन उपायुक्त, सिविल लाईन/मालवीया नगर/विधाधर नगर/मानसरोवर/सांगानेर/आमेर/हवामहल पूर्व/हवामहल पश्चिम जोन।
05. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

Scanned with CamScanner